an>

Title: Regarding provision of jobs to persons whose land have been acquired by the Railways in Kanker Parliamentary Constituency of Chhatisgarh.

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला उत्तर बस्तर कांकेर के अंतर्गत निर्माणाधीन दल्ली राजहरा से रावघाट रेलवे लाइन हेतु वहां के कृषकों की भूमि रेलवे विभाग अधिगृहीत की गई है। करीब 464 कृषक हैं, जिनको दक्षिण पूर्व मंडल रेलवे बिलासपुर द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2011 को एक अधिसूचना जारी कर उनसे कहा गया कि भूमि अधिगृहीत कृषकों के परिवार के एक सदस्य को रेलवे में पे-बैंड 1 में 5200-20200 एवं ग्रेड पे 1800 के साथ, जिसमें भूमि के एकमात्र मालिक अथवा पुत्र, पुत्री, पत्नी जिनकी न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता 10वीं पास हों, इसके साथ पढ़ने एवं लिखने की क्षमता वाले परिवार पर भी विचार कर नौकरी देने को कहा गया था। इसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष और जिन वर्गों की आयु में छूट है, उन्हें छूट प्रदान कर नौकरी में लेने हेतु निर्णय लेने की बात कही गई। कृषकों द्वारा नौकरी हेतु निर्धारित प्रपत्र भरकर 16 मई, 2011 तक महाप्रबंधक कार्यालय, दक्षिण पूर्व मंडल रेलवे बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में जमा किया गया, परन्तु अभी तक प्रभावित किसानों को रेलवे विभाग द्वारा नौकरी नहीं दी गई और न ही संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई की गई। इसके कारण सभी प्रभावित कृषक 26 अक्टूबर, 2015 से भानुप्रतापपुर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। अगर शीघ्र ही उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करने की बात कही गई है।

महोदया, करीब 464 कृषक डेढ़ माह से ज्यादा समय तक धरने पर बैठे हैं। उसमें अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के किसान हैं। उनको अभी तक मुआवजा कम मिला है, साथ ही साथ जो नौकरी देने की बात कही गई, उस पर रेलवे विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय रेलवे मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जिन गरीब परिवारों को नौकरी देने की बात कही गई, उनको नौकरी दे। इसके साथ ही इस प्रकरण का गंभीरता से निराकरण करे। इस मामले में मैंने 27 अप्रैल को भी एक अतारांकित प्रश्न पूछा था, लेकिन जानकारी एकत्रित की जा रही है, कहकर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अभी तक जानकारी अप्राप्त है। इस मामले में गंभीरतापूर्वक निराकरण होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस मामले में निराकरण चाहता हूं। आपने समय दिया इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।